न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

Jodhpur225RTA2018-00281(2018-127) Bhinyaram Vs Ranaram etc

भीयाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई
निवासी विष्णु की ढाणी,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. राणाराम पुत्र जालाराम जाति विश्नोई
2. देवाराम पुत्र जालाराम जाति विश्नोई
   निवासीगण विष्णु की ढाणी
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

3. जीयाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई
4. ओमाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई
5. भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई
   निवासीगण विष्णु की ढाणी
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

प्रफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा दिनांक 28 जून 2018 राजस्व विविध पार्थनापत्र संख्या 36/2017 जीयाराम व अन्य बनाम राणाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री अक्षय दवे एवं श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री लाधू राम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 18 नवम्बर, 2021

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 36/2017 जीयाराम व अन्य बनाम राणाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जून 2018 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 अगस्त 2018 को पेश की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 3 से 5 एवं अपीलाण्ट ने अप्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो के खिलाफ एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 104 रकबा 70 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा विष्णु की ढाणी पटवार हळका 4चान्देलाव के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी बाबत मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं सरकार द्वारा जारी मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को नहीं किये जाने के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय-पक्षकारान की बहस सुनी जाकर जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 जून 2018 के जरिये उक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए लिखित बहस पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के पूर्व खातेदार प्रार्थीगण के दादा हमीरराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि हमीरराम के एकमात्र पुत्र रूपाराम (प्रार्थीगण के पिता) के नाम दर्ज हुई, किन्तु बाद में राजस्व कर्मचारियों की भूल से बिना किसी सक्षम आदेश एवं बिना किसी माप व सीमांकन के वादग्रस्त आराजी में से 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि बाबत रेस्पो. संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक व दो का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड के गलत इन्द्राजात के कारण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा नोटिस जारी कर भूमि की मुआवजा राशि बाबत रेस्पो. संख्या 1 व 2 को भी मुआवजा राशि देने का उल्लेख किया है, जबकि रेस्पो. संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण व कब्जा, अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा के बिन्दुओं पर समुचित विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो. संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के संबंध में राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि प्राप्त कर लेते है तो प्रार्थीगण-अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 3 से 5 को निश्चय ही अपूरणीय क्षति होगी। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा की 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि के वास्तविक खातेदार एवं काबिज काश्तकार रेस्पो. संख्या एक व दो है, अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 3 से 5 के पिता द्वारा इस संबंध में दिनांक 15 जून 1989 को रेस्पो. संख्या एक व दो के पक्ष में एक लिखत निष्पादित की थी और बाद में पंजीबद्ध विनिमय विलेख दिनांक 08 जुलाई 1991 के आधार पर तहसीलदार द्वारा म्युटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रेस्पो. संख्या एक व दो का नाम उक्त आराजी के संबंध में दर्ज किया गया। विनिमय में रेस्पो. संख्या एक व दो के द्वारा रूपाराम के पक्ष में ग्राम विष्णु की ढाणी स्थित खसरा संख्या 53 में से दक्षिण दिशा की 26 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज करवायी गयी। इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के समक्ष रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा जबाब पेश किया गया और साथ ही काउण्टर प्रार्थनापत्र पेश कर अपने पक्ष में स्थगन आदेश का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः एवं न्यायोचित होना जाहिर करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने निवेदन किया कि सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत लिखित बहस का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध छायाप्रति नकल जमाबंदी ग्राम चान्देलाव संवत 2017-2020 (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 36) जिसमें अन्य आराजियात के साथ आराजी खसरा संख्या 104 रकबा 70 बीघा 19 बिस्वा हमीर पुत्र अन्ना कौम विश्नोई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है, छायाप्रति नकल जमाबंदी गांव विष्णु की ढाणी पटवार क्षेत्र चान्देलाव संवत 2043-2046 (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 37), जिसमें अन्य आराजियात के साथ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 104 रकबा 70 बीघा 19 बिस्वा रूपाराम पुत्र हमीरराम विश्नोई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पेज 38 से 40 रूपाराम पुत्र हमीरराम द्वारा घीसी बेवा जालाराम विश्नोई के पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि के एक्सचेंज का लेख्य-पत्र, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 41 से 42 रूपाराम पुत्र हमीरराम द्वारा निष्पादित "लिखा-पढी" के आधार पर प्रथम दृष्टया रूपाराम पुत्र हमीरराम विश्नोई द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा संख्या 104 कुल रकबा 70 बीघा 19 बिस्वा में से पश्चिम दिशा की 37 बीघा 14 बिस्वा के बदले रेस्पो. संख्या एक व दो की खातेदारी के खसरा संख्या 53 कुल रकबा 36 बीघा 5 बिस्वा में से 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्राप्त करना पाया जाता है। उक्त विनिमय के आधार पर तहसीलदार बिलाडा (भूमिधारी) द्वारा जारी सहमति का आदेश दिनांक 8 जुलाई 1991 अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली में पेज 43 पर एवं ग्राम विष्णु की ढाणी के म्युटेशन संख्या की छायाप्रति (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 18) भी अभिलेख पर होना पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजात के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, कब्जा, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण (अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 3 से 5) के बजाय अप्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो के पक्ष में होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है।

अतः समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 36/2017 जीयाराम व अन्य बनाम राणाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 जून 2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर